न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, को

आज्ञा – पत्र

उनवान

मोहनलाल बनाम बापूलाल

किस्म मुकद्दमा धारा - 223 मि० नं० 29/2019 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री हुकमचंद कुमावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-11-2020	**अभिभाषक अपीलान्ट / रेस्पोडेन्ट उपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18-12-2020 को पेश हो।** **(महेन्द्र लोढ़ा)** **भू-प्रबन्ध अधिकारी** एवं **पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी** **कोटा (राज.)**	
18-12-2020	पत्रावली कैम्प झालावाड़ पेश हुई / अभिभाषक अदम हाजरी अदम पैरवी अपीलांट उपस्थित नहीं / बार-बार आवाजें लगवाई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुआ / अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है / पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो / (महेन्द्र लोढ़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	

श्रीउर
श्री हुकमचन्द कुशवाह(एड) द्वारा
पेश की/बाद जांच रिपोर्ट
होकर पेश हो।

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
17.5.19 कोटा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा
केम्प झालावाड
संख्या /2019

1– मोहनलाल आत्मज नन्दलाल उम्र 68 साल जाति मेहर
2– बिहारीलाल आत्मज नन्दलाल उम्र 58 साल जाति मेहर
निवासीगण ग्राम भिलवाडी तहसील पचपहाड जिला झालावाड
– अपीलान्टस

बनाम

1– बापूलाल आत्मज उदा उम्र 68 साल जाति मेहर निवासी ग्राम भिलवाडी तहसील पचपहाड
2– दिनेश आत्मज हीरा उम्र 42 साल जाति मेहर
3– बनवारी आत्मज हीरा उम्र 38 साल जाति मेहर
4– शान्तिबाई बेवा हीरा जाति मेहर
निवासीगण निवासी ग्राम भिलवाडी तहसील पचपहाड
5– श्रीमान् तहसीलदार तहसील पचपहाड जिला झालावाड
– रेस्पोन्डेन्टस

अपील बनाराजगी निर्णय / डिक्री दिनांक 30.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी प्रकरण संख्या 106 / 2017 बउनवान बापू बनाम मोहनलाल वगैरा में पारित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ.

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

यहकि ग्राम भिलवाडी में स्थित आराजी खसरा नं. 645 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 647 रकबा 18 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वादी के खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया। बाद वाद पत्र दर्ज तलबी होकर प्रतिवादी नं.1 व 2 की ओर से वकालत नामा पेश हुआ तथा शेष प्रतिवादी नं. 3,4, 5 तलबी में पेशी नियत होने पर प्रकरण का निस्तारण 30.6.18 को राजस्व लोक अदालत भवानीमण्डी में डिक्री कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्टस अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर अपील पेश करते है।

1– यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/डिक्री विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त, पत्र संग्रह सार एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से जेरकार अपील निर्णय/डिक्री निरस्त होने योग्य है।

2– यहकि वादी/रेस्पोन्डेन्टस द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश करने के पश्चात दिनांक 1.11.17 को रिपोर्ट सारिस्ता होकर दर्ज रजिस्टर एवं तलबी के आदेश होकर आगामी पेशी 14.12.2017 नियत रही है। 14.12.17 को तलबी हेतु नियत रही जो आगामी पेशी 24.1.18 को प्रतिवादी नं.1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादी नं.3 लगायत 7 के लिए तलबी एवं तलवाना पेश हेतु नियत पेशी 26.2.18 की गई। दिनांक 26.2.18 को तामिल रिपोर्ट होकर आगामी पेशी 9.4.18 तय की गई। 9.4.18 को भी पत्रावली में आगामी पेशी तामीली रिपोर्ट हेतु दिनांक 9.5.18 नियत की गई।

मोहनलाल बिहारीलाल